[TO BE PUBLISHED IN THE GAZETTE OF INDIA, EXTRAORDINARY, PART II, SECTION 3, SUB-SECTION (i)]

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS
NOTIFICATION

New Delhi, the 05th September, 2019

**G.S.R. ______(E).** — In exercise of the powers conferred by sub-sections (2) and (4) of section 132, sub-section (1) of section 139 and sub-section (1) of section 469 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013), the Central Government hereby makes the following rules, to amend the National Financial Reporting Authority Rules, 2018, namely :-

1. **Short title and commencement.**– (1) These rules may be called the National Financial Reporting Authority (Amendment) Rules, 2019.

   (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the National Financial Reporting Authority Rules, 2018 (hereinafter referred to as the said rules), in clause (g) of sub-rule (1) of rule 2, after the words "a division", the words, "including the one headed by the chairperson or a full-time member", shall be inserted.

3. In the said rules, after clause (c) of sub-rule (1) of rule 3, the following explanation shall be inserted, namely:-

"Explanation.- For the purpose of this clause, "banking company" includes 'corresponding new bank' as defined in clause (d) of section 2 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 (5 of 1970) and clause (b) of section 2 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1980 (40 of 1980) and 'subsidiary bank' as defined in clause (k) of section 2 of the State Bank of India (Subsidiary Bank) Act, 1959 (38 of 1959).".

4. In the said rules, in rule 5, for the figures, letters and words "30th April every year in such form as may be specified by the Central Government", the figures, letters and words "30th November every year in Form NFRA-2" shall be substituted.

5. In the said rules, in sub-rule (5) of rule 11, the following provisos shall be inserted, namely:-

"Provided that where the disposal does not take place within the said period, the Division shall record the reasons for not disposing off the show-cause notice within the said period, and the chairperson, may, after taking into account the reasons so recorded, extend the aforesaid period by such additional period not exceeding ninety days as he may consider necessary:

Provided further that the chairperson may, if he thinks fit, grant the said extension of period more than once.".

6. In the said rules, in the Annexure, after Form NFRA-1, the following Form shall be inserted, namely:—

**FORM NFRA-2**

*[Pursuant to section 132 of the Companies Act, 2013 and rule 5 of the National Financial Reporting Authority Rules, 2018]*

सत्यमेव जयते

***Annual Return To Be Filed By Auditor With The National Financial Reporting Authority***

## 1. IDENTITY OF THE AUDITOR AND CONTACT PERSONS

### 1.1 NAME AND CONTACT DETAILS OF THE AUDITOR

(a) Category of auditor o Individual o Firm o Indian LLP o Foreign LLP

(b) Limited Liability Partnership Identification Number (LLPIN) or any other registration number

(c) Name of the Auditor

(d) Income Tax PAN of Auditor

(e) Details of the Auditor's registration number as under

(i) Assigned by: (Give name of regulator/agency who assigns such registration numbers in the jurisdiction of operations)

(ii) Country of registration

(iii) Registration number with the regulator/agency

(f) Registered address of the Auditor

(g) Mailing address (if different from the above)

(h) Telephone number of the Auditor's registered office

(incl. country and area codes)

(i)Website address of the Auditor, if any

## 2. REPORTING PERIOD

(a) Start of reporting period for annual return (01/04/YYYY)

(b) End of reporting period for annual return (31/03/YYYY)

## 3. GENERAL INFORMATION CONCERNING THE AUDITOR

### 3.1 JURISDICTIONAL INFORMATION

(a) Description of auditing standards followed in the jurisdiction where the auditor is registered

(b) A description of the audit supervisory process undertaken by the regulator/agency which oversees auditor's performing audit/attest services in the relevant jurisdiction

(c) Whether the Auditor has been subjected to a review in the nature of a 'quality control review' concerning the audit and attestation services of the Auditor by a regulator/agency in the relevant jurisdiction.

o Yes o No

(i) Name of Regulator/agency

(ii) Date of such review

(iii) Validity period of such review

(iv) Rating (please provide the standard rating scale followed)

(v) Any adverse remarks by the regulator/agency providing such rating

(d) Whether the Auditor filing the annual return has been subjected to any other reviews by other regulators.

o Yes o No

(i) Name of Regulator

(ii) Date of such review

(iii) Validity period of such review

(iv) Rating (please provide the standard rating scale followed)

(v) Any adverse remarks by the regulator providing such rating

**4. AUDIT CLIENTS AND AUDIT REPORTS OF THE AUDITOR**

(a) Number of entities specified in rule 3(1) (a) to (d) for which the Auditor issued any audit report(s) during the reporting period:

I. Provide the following information concerning each entity specified in 4(a) above:

1. Name of company/body corporate

2. Corporate identity number (CIN) or PAN of body corporate

3. Global Location Number

4. Select the class(es) in which the company/ body corporate is governed:-

- o company whose securities are listed
- o unlisted companies covered under clause (b) of sub-rule (1) of rule 3
- o insurance company
- o banking company
- o company engaged in the generation or supply of electricity
- o company governed by a special Act

  Name of special Act [ ]

- o body corporate incorporated by an Act in accordance with clause (b), (c), (d), (e) and (f) of sub-section (4) of section 1 of the Companies Act, 2013

- o body corporate which has been referred by the Central Government (copy of the order to be attached)

5.Registered address of the company/ body corporate [ ]

6.Date of the audit report (dd/mm/yyyy) [ ]

7. (A) Name of Engagement Partner [ ]

(B) Registration Number [ ]

8.(A) Name of Engagement Quality Review Partner [ ]

(B) Registration Number [ ]

9. Whether audit report has been modified.

o Yes o No

10. Total fees and expenses received by the Auditor from each company or body corporate referred to in sl. no. 1 in Indian Rupees as under:-

(i) statutory audit services

(ii) tax audit and other taxation services

(iii) attestation and certification services

(iv) non-audit services

(v) out-of-pocket expenses

11. If fees not received in Indian Rupees, rate of conversion used for converting the same from any other currency to Indian Rupees

12. Any findings in the Auditor's report which are unfavourable or qualified

o Yes o No

Details

13. Whether Auditor is unable to express any opinion on any specified matter in the Auditor's report

o Yes o No

Details

(b) Number of entities specified in rule 3(1) (e) for which the Auditor issued any audit report(s) during the reporting period [ ]

I. Provide the following information concerning each entity specified in 4(b) above:

1. Name of body corporate [ ]

2. Foreign company registration number (FCRN) of the company or Identity number of body corporate [ ]

3. Global Location Number (GLN) [ ]

4. Registered address of the body corporate [ ]

5. Date of the audit report [ ]

6. Whether audit report has been modified.

o Yes o No

7. Fees and expenses received by the Auditor from each company or body corporate referred to in sl.no. 1 in Indian Rupees as under:-

(i) statutory audit services [ ]

(ii) tax audit and other taxation services [ ]

(iii) attestation and certification services [ ]

(iv) non-audit services [ ]

(v) out-of-pocket expenses [ ]

8. If fees not received in Indian Rupees, rate of conversion used for converting the same from any other currency to Indian Rupees. [ ]

9. Any findings in the Auditor's report which are unfavourable or qualified

o Yes o No

Details

10. Whether Auditor is unable to express any opinion on any specified matter in the Auditor's report

o Yes o No

Details

11. Whether Generally Accepted Auditing Standards (GAAS) have been followed

o Yes o No

(a) if no, then name of the auditing standard followed

12. Whether Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) have been followed

o Yes o No

(a) if no, then name of the accounting standard followed

13. Period covered by the financial statements that were the subject of the audit report (dd/mm/yyyy) to (dd/mm/yyyy)

14. CIN or PAN of the company/ body corporate of which the entity in sl.no.1 above is a subsidiary or associate company.

15. Name of the company/ body corporate of which the

entity in sl.no.1 above is a subsidiary or associate company.

16. Consolidated income of the company/body corporate referred in sl. no. 15 above [ ]

17. Consolidated net worth of the company/body corporate referred in sl.no. 15 above [ ]

18. Income of the subsidiary/associate referred in sl.no. 1 [ ]

19. Networth of subsidiary/associate referred in sl.no. 1 [ ]

20. LLPIN/ Registration Number of the firm that issued the audit report(s) for the entity in sl.no.15 above [ ]

21. Name of the firm referred to in sl.no. 20. [ ]

**5. AUDIT-RELATED MEMBERSHIPS, AFFILIATIONS, OR SIMILAR ARRANGEMENTS OF THE AUDITOR**

(a) Membership or affiliation of the auditor with any network in connection with the provision of audit services o Yes o No

(b) If the response to the above is Yes, identify the entity with which the Firm has such relationship:

1. Entity name [ ]
2. Entity address [ ]
3. Country [ ]
4. Provide a brief description of the relationship the Firm has with this entity [ ]
5. Whether such network is registered with ICAI

   o Yes o No

   If yes, provide the registration number [ ]

Note: Item 5(b) does not require information concerning every other entity that

is part of the network, but only information concerning the network, or the principal entity through which it operates.

**6. PARTNERS AND EMPLOYEES OF THE AUDITOR**

**6.1 PARTNERS**

(a) Number of partners

(b) Details of the partners

| Name | Registration Number assigned by the Regulator | Names of every firms of auditors in which the person is partner |
|---|---|---|
| | | |

**6.2 EMPLOYEES**

Provide the total number of Chartered Accountants or its equivalent (in any relevant jurisdiction) employed by the Auditor

**7. DETAILS OF DISCIPLINARY OR OTHER PROCEEDINGS INITIATED AGAINST THE AUDITOR**

(a) Total number of criminal, civil or disciplinary actions or proceedings against any partner or employee of the Auditor in connection with any audit in the past five years.

I. Provide the following details:-

1. Nature o Criminal o Civil o Disciplinary
2. Person against whom proceedings have taken place
   o Partner o Employee
3. Name of partner/employee
4. Name of the regulator/agency that has initiated the disciplinary action
5. The date of the relevant proceedings

6. Brief description of the same [ ]

7. Whether a final order has been passed

o Yes o No

**8. SPECIAL CIRCUMSTANCES**

**8.1 RESIGNATIONS**

1. Whether the auditor has resigned from his post in any company/body corporate during the past three years:

o Yes o No

2. Number of companies/ bodies corporate in which the auditor resigned during the past three years [ ]

| CIN/PAN of the company/body corporate | Name of the company/body corporate | Reporting period for which the resignation was submitted (DD/MM/YYYY) to (DD/MM/YYYY) |
|---|---|---|
| | | |

**8.2 WITHDRAWAL OF AN AUDIT REPORT**

1. Whether the Auditor has withdrawn an audit report on financial statements, or withdrawn its consent to the use of its name in a report, document, or written communication in the past three reporting periods.

o Yes o No

2. Number of companies/ bodies corporate in which such withdrawal took place during the past three years [ ]

| CIN/PAN of the company/body corporate | Name of the company/body corporate | Reporting period for which the withdrawal took place (DD/MM/YYYY) to (DD/MM/YYYY) |
|---|---|---|
| | | |

**9. QUALITY CONTROL POLICIES OF THE AUDITOR**

A statement of the quality control policies and procedures of the Auditor for its auditing practice during the reporting period

**10. CONSENT**

The Firm has consented to co-operate and comply with any request for information or the production of documents made by the National Financial Reporting Authority (NFRA) in furtherance of its powers and responsibilities under the Companies Act, 2013 and the National Financial Reporting Authority Rules, 2018 as amended from time to time.

**SIGNATURE OF PARTNER OR AUTHORISED OFFICER.**

"

[F. No. 1/4/2016 CL-I]

05/9/19

K.V.R. MURTY, Joint Secretary

O/C

Note : The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3 of Sub-section (i) vide number G.S.R. 1111(E), dated the 13th November, 2018.

[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-2, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 05 सितंबर, 2019

सा.का.नि. ______ (अ).- केंद्रीय सरकार, कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 132 की उपधारा (2) और उपधारा (4), धारा 139 की उपधारा (1) तथा धारा 469 की उपधारा (1) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण नियम, 2018 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.-** (1) इन नियमों का नाम राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण (संशोधन) नियम, 2019 है।

(2) ये नियम राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण नियम, 2018 (इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया) के नियम 2 के उपनियम (1) के खंड (छ) में शब्द "प्रभाग" के पश्चात् "अध्यक्ष अथवा पूर्णकालिक सदस्य की अध्यक्षता वाले सहित" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे।

3. उक्त नियमों के नियम 3 के उपनियम (1) के खंड (ग) के पश्चात् निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"स्पष्टीकरण.- इस खंड के प्रयोजन हेतु, "बैंककारी कंपनी" में बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 (1970 का 5) की धारा 2 के खंड (घ) और बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1980 (1980 का 40) की धारा 2 के खंड (ख) में यथा-परिभाषित 'तद्नुरूपी नया बैंक' और भारतीय स्टेट बैंक (समनुषंगी बैंक) अधिनियम, 1959 (1959 का 38) की धारा 2 के खंड (ट) में यथा-परिभाषित 'समनुषंगी बैंक' शामिल है।"।

4. उक्त नियमों के नियम 5 में "30 अप्रैल को या उससे पूर्व प्राधिकरण के समक्ष ऐसे प्ररूप में विवरणी फाइल करेगा जो केंद्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए।" अंकों, अक्षरों और शब्दों के स्थान पर "30 नवंबर या उससे पूर्व प्राधिकरण के समक्ष प्ररूप एनएफआरए-2 में विवरणी फाइल करेगा" अंक, अक्षर और शब्द रखे जाएंगे।

5. उक्त नियमों के नियम 11 के उप-नियम (5) में निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:-

"परंतु कि जहां उक्त अवधि के भीतर निपटान नहीं होता है तो प्रभाग उक्त अवधि के भीतर कारण बताओ नोटिस न भेजे जाने के कारणों को अभिलिखित करेगा और अध्यक्ष इस प्रकार अभिलिखित किए गए कारणों को ध्यान में रखते हुए, पूर्वोक्त अवधि, जैसा वह आवश्यक समझे, को ऐसी अतिरिक्त अवधि तक बढ़ा सकता है जो 90 दिनों से अधिक नहीं होगी:

परंतु यह भी कि अध्यक्ष, यदि वह उचित समझे, इस नियम के अधीन उक्त अवधि में एक से अधिक बार वृद्धि कर सकता है।"।

6. उक्त नियमों के उपाबंध में प्ररूप एनएफआरए-1 के पश्चात्, निम्नलिखित प्ररूप अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"

| | | |
|---|---|---|
| **प्ररूप एनएफआरए-2**<br>[कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 132 और राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण नियम, 2018 के नियम 5 के अनुसरण में] | सत्यमेव जयते | लेखापरीक्षक द्वारा राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण के समक्ष दायर की जाने वाली वार्षिक विवरणी |

**1. लेखापरीक्षक और संपर्क किए जाने वाले व्यक्तियों की पहचान**

**1.1 लेखापरीक्षक का नाम और उससे संपर्क करने का विवरण**

(क) लेखापरीक्षक की श्रेणी O वैयक्तिक O फर्म O भारतीय एलएलपी O विदेशी एलएलपी

(ख) सीमित देयता भागीदारी पहचान संख्या (एलएलपीआईएन) या कोई अन्य रजिस्ट्रीकरण संख्या ..........................

(ग) लेखापरीक्षक का नाम ...................................

(घ) लेखापरीक्षक का आयकर पैन .........................

(ङ) लेखापरीक्षक की रजिस्ट्रीकरण संख्या का विवरण निम्नानुसार:

(i) के द्वारा नियत: (प्रचालन के क्षेत्राधिकार में ऐसे रजिस्ट्रीकरण संख्याओं को नियत करने वाले विनियामक/एजेंसी का नाम) .......................

(ii) रजिस्ट्रीकरण करने वाला राष्ट्र .......................

(iii) विनियामक/एजेंसी के समक्ष रजिस्ट्रीकरण संख्या .....................

(च) लेखापरीक्षक का रजिस्ट्रीकृत पता ..............................

(छ) डाक पता, यदि उपरोक्त से भिन्न हो .......................

(ज) लेखापरीक्षक के रजिस्ट्रीकृत कार्यालय की दूरभाष संख्या (राष्ट्र और क्षेत्र कोड सहित) ........................

(झ) लेखापरीक्षक का वेबसाइट पता, यदि कोई हो ..............................

**2. रिपोर्टिंग अवधि**

(क) वार्षिक विवरणी (01/04/वर्ष) के लिए रिपोर्टिंग अवधि का आरंभ ......................

(ख) वार्षिक विवरणी (31/03/वर्ष) के लिए रिपोर्टिंग अवधि की समाप्ति ......................

**3. लेखापरीक्षक से संबंधित सामान्य सूचना**

**3.1 क्षेत्राधिकार सूचनाएं**

(क) उस क्षेत्राधिकार में पालन किए जाने वाले लेखापरीक्षा मानकों का विवरण जिसमें लेखापरीक्षक रजिस्ट्रीकृत है।

.......................................................

(ख) संगत क्षेत्राधिकार में लेखापरीक्षा/अनुप्रमाणन सेवाओं का निष्पादन करने वाले लेखापरीक्षक की निगरानी करने वाले विनियामक/अभिकरण द्वारा की गई लेखापरीक्षक पर्यवेक्षक प्रक्रिया का विवरण।

.......................................................

(ग) क्या लेखापरीक्षक, संगत क्षेत्राधिकार में किसी विनियामक/अभिकरण द्वारा लेखापरीक्षक की लेखापरीक्षा और अनुप्रमाण सेवाओं संबंधी 'गुणवत्ता नियंत्रण समीक्षा' की प्रकृति की समीक्षा के अध्यधीन है।

O हां O नहीं

(i) विनियामक/अभिकरण का नाम ......................

(ii) ऐसी समीक्षा की तारीख .................

(iii) ऐसी समीक्षा की विधिमान्यता अवधि .................................

(iv) रेटिंग (कृपया मानक रेटिंग स्केल उपलब्ध कराएं) .....................

(v) ऐसी रेटिंग उपलब्ध कराने वाले नियामक/अभिकरण द्वारा की गई प्रतिकूल टिप्पणी ....................

(घ) क्या वार्षिक विवरणी दायर करने वाला लेखापरीक्षक किसी अन्य विनियामक द्वारा किसी अन्य समीक्षाओं के अध्यधीन है O हां O नहीं

(i) विनियामक का नाम ......................

(ii) ऐसी समीक्षा की तारीख .................

(iii) ऐसी समीक्षा की विधिमान्यता अवधि .................................

(iv) रेटिंग (कृपया मानक रेटिंग स्केल उपलब्ध कराएं) .....................

(v) ऐसी रेटिंग उपलब्ध कराने वाले नियामक द्वारा की गई प्रतिकूल टिप्पणी ....................

**4. लेखापरीक्षा ग्राहक और लेखापरीक्षक की लेखापरीक्षा रिपोर्ट**

(क) नियम 3(1)(क) से (घ) में विनिर्दिष्ट इकाइयों की संख्या जिसके लिए लेखापरीक्षक द्वारा रिपोर्टिंग अवधि के दौरान लेखापरीक्षा रिपोर्ट(टें) जारी की गई हैं। ......................

I. उपरोक्त 4(क) में विनिर्दिष्ट प्रत्येक इकाई से संबंधित निम्नलिखित सूचना उपलब्ध कराएं -

1. कंपनी/कारपोरेट निकाय का नाम ....................
2. कारपोरेट निकाय की कारपोरेट पहचान संख्या (सीआईएन) या पैन ...........................
3. वैश्विक अवस्थिति संख्या ............................
4. कंपनी/कारपोरेट निकाय का नियंत्रण करने वाली श्रेणियों का चयन करें:-
   - सूचीबद्ध प्रतिभूतियों वाली कंपनी

- नियम 3 के उपनियम (1) के खंड (ख) के अधीन आने वाली असूचीबद्ध कंपनियां
- बीमा कंपनी
- बैंककारी कंपनी
- बिजली के उत्पादन या आपूर्ति करने वाली कंपनी
- किसी विशेष अधिनियम द्वारा नियंत्रित कंपनी
  विशेष अधिनियम का नाम ......................
- कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 1 की उपधारा (4) के खंड (ख)(ग)(घ)(ड़) और (च) के अनुसार किसी अधिनियम द्वारा निगमित कारपोरेट निकाय
- केंद्रीय सरकार द्वारा निर्दिष्ट कारपोरेट निकाय (आदेश की प्रति संलग्नक की जानी है)

5. कंपनी/कारपोरेट निकाय का रजिस्ट्रीकृत पता .......................

6. लेखापरीक्षा रिपोर्ट की तारीख ........................... (दिन/माह/वर्ष)

7. (क) नियुक्त भागीदार का नाम .......................
(ख) रजिस्ट्रीकरण संख्या ..........................

8. (क) नियुक्ति क्वालिटी समीक्षा भागीदार का नाम ..............
(ख) रजिस्ट्रीकरण संख्या ................

9. क्या लेखापरीक्षा रिपोर्ट का संशोधन किया गया है
O हां O नहीं

10. क्रम संख्या 1 में निर्दिष्ट प्रत्येक कंपनी अथवा कारपोरेट निकाय से लेखा-परीक्षक द्वारा प्राप्त कुल फीस और व्यय भारतीय रुपए में निम्नानुसार हैः-
(i) सांविधिक लेखा-परीक्षा सेवाएं; ..................................................
(ii) कर लेखा-परीक्षा और अन्य कराधान सेवाएं ................................
(iii) अनुप्रमाणन और प्रमाणन सेवाएं ................................
(iv) गैर-लेखा-परीक्षा सेवाएं ............................
(v) जेब से खर्च .......................................

11. यदि शुल्क भारतीय रुपए में प्राप्त नहीं हुआ, तो .............................................
अन्य मुद्रा से भारतीय रुपए में
इसे परिवर्तित करने के लिए प्रयुक्त परिवर्तन दर

12. लेखा-परीक्षक की रिपोर्ट के कोई निष्कर्ष जो विरूद्ध अथवा अर्हक हैं

O हां O नहीं

विवरण

13. क्या लेखा-परीक्षक किसी विशिष्ट मामले में लेखा-परीक्षक की रिपोर्ट पर अपनी राय व्यक्त करने में असमर्थ है

O हां O नहीं

विवरण

(ख) नियम 3(1)(ङ) में विनिर्दिष्ट इकाइयों की संख्या जिसके लिए रिपोर्टिंग अवधि के दौरान लेखा-परीक्षक ने कोई लेखा-परीक्षा रिपोर्ट (रिपोर्टें) जारी की हैं ................................

I. उक्त 4(ख) में विनिर्दिष्ट प्रत्येक इकाई से संबंधित निम्नलिखित सूचना प्रदान करें:

1. कारपोरेट निकाय का नाम ............................................

2. कंपनी का विदेशी कंपनी रजिस्ट्रीकरण संख्या (एफसीआरएन) अथवा कारपोरेट निकाय की पहचान संख्या ....................................

3. वैश्विक अवस्थिति संख्या (जीएलएन) ......................

4. कारपोरेट निकाय का रजिस्ट्रीकृत पता ......................

5. लेखा-परीक्षा रिपोर्ट की तारीख ............................

6. क्या लेखा-परीक्षा रिपोर्ट संशोधित की गई है।

O हां O नहीं

7. क्रम संख्या 1 में निर्दिष्ट प्रत्येक कंपनी अथवा कारपोरेट निकाय से लेखा-परीक्षक द्वारा प्राप्त कुल फीस और व्यय भारतीय रुपए में निम्नानुसार हैः-

(i) सांविधिक लेखा-परीक्षा सेवाएं ...................................................

(ii) कर लेखा-परीक्षा और अन्य कराधान सेवाएं .................................

(iii) अनुप्रमाणन और प्रमाणन सेवाएं .................................

(iv) गैर-लेखा-परीक्षा सेवाएं ............................

(v) जेब से खर्च .......................................

8. यदि शुल्क भारतीय रुपए में प्राप्त नहीं हुआ, तो उसे किसी अन्य मुद्रा से भारतीय रुपए में परिवर्तित करने के लिए उपयोग की गई परिवर्तन की दर ..................................

9. लेखा-परीक्षक की रिपोर्ट के कोई निष्कर्ष जो विरूद्ध अथवा अर्हक हैं

O हां O नहीं

विवरण

10. क्या लेखा-परीक्षक किसी विशिष्ट मामले में लेखा-परीक्षक की रिपोर्ट पर अपनी राय व्यक्त करने में असमर्थ है

O हां O नहीं

विवरण

11. क्या सामान रूप से स्वीकृत लेखा-परीक्षा मानकों (जीएएएस) का अनुपालन किया गया है

O हां O नहीं

(क) यदि नहीं तो अनुपालित लेखा-परीक्षा मानकों का नाम ....................................

12. क्या सामान रूप से स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों (जीएएपी) का अनुपालन किया गया है

O हां O नहीं

(क) यदि नहीं तो अनुपालित लेखांकन मानकों का नाम ....................................

13. वित्तीय विवरणों जो लेखा-परीक्षा रिपोर्ट के विषय थे, द्वारा समाविष्ट की गई अवधि (दिन/माह/वर्ष) से (दिन/माह/वर्ष) ................................

14. कंपनी/कारपोरेट निकाय का सीआईएन अथवा पेन जिसकी उपरोक्त क्रम संख्या 1 में इकाई एक सहायक अथवा संबंध कंपनी है। ..............................................

15. कंपनी/कारपोरेट निकाय जिसकी उक्त क्रम संख्या 1 में इकाई एक सहायक अथवा संबद्ध कंपनी है। ..............................................

16. उपरोक्त क्रम संख्या 15 में निर्दिष्ट कंपनी/कारपोरेट निकाय की संचित आय.......................

17. उपरोक्त क्रम संख्या 15 में निर्दिष्ट कंपनी/कारपोरेट निकाय का संचित निवल मूल्य ........................

18. सहायक/संबद्ध कंपनी की आय ...........................
क्रम संख्या 1 में निर्दिष्ट

19. सहायक/संबद्ध कंपनी का निवल मूल्य ...........................
क्रम संख्या 1 में निर्दिष्ट

20. फर्म की एलएलपीआईएन/रजिस्ट्रीकरण संख्या जो उपरोक्त क्रम संख्या 15 में इकाई के लिए लेखा-परीक्षा रिपोर्टों में जारी की गई है ....................................

21. क्रम संख्या 20 में निर्दिष्ट फर्म का नाम ..............................

**5. लेखा-परीक्षा से संबंधित सदस्यता, संबद्धताएं, अथवा लेखापरीक्षक की समान व्यवस्थाएं**

(क) लेखा-परीक्षा सेवाओं के उपबंध के संबंध में किसी नेटवर्क के साथ लेखा-परीक्षक की सदस्यता अथवा संबद्धता O हां O नहीं

(ख) यदि उक्त का उत्तर हां है तो उस इकाई की पहचान करे जिसका फर्म के साथ इस प्रकार का संबंध है:

1. इकाई का नाम ............................
2. इकाई का पता ............................
3. देश ..............................
4. उस फर्म के साथ संबंध का संक्षिप्त विवरण दे जिसके साथ इकाई संबद्ध है ...........
5. क्या ऐसा नेटवर्क आईसीएआई के साथ रजिस्ट्रीकृत है
   O हां O नहीं

   यदि हां, रजिस्ट्रीकरण संख्या दें ..................................

टिप्पणः मद 5(ख) में प्रत्येक अन्य इकाई के संबंध में सूचना अपेक्षित नहीं है जो उस नेटवर्क का भाग है, किंतु केवल उस नेटवर्क से संबंधित सूचना, अथवा प्रधान इकाई जिसके माध्यम से वह प्रचालित होता है।

**6. लेखापरीक्षक के साझेदार और कर्मचारी**

**6.1 साझेदार**

(क) साझेदारों की संख्या ....................................

(ख) साझेदारों का विवरण

| नाम | नियामक द्वारा नियत रजिस्ट्रीकृत संख्या | प्रत्येक फर्म के लेखा-परीक्षकों के नाम जिसमें व्यक्ति एक साझेदार है |
|---|---|---|

**6.2 कर्मचारी**

लेखा-परीक्षक द्वारा नियुक्त चार्टर्ड अकाउंटेंट या इसके समकक्ष (किसी अन्य संगत क्षेत्राधिकार में) कर्मचारियों की कुल संख्या बताएं .........

**7. लेखापरीक्षक के विरूद्ध आरंभ की गई अनुशासनात्मक या अन्य कार्रवाई का ब्यौरा**

(क) पिछले पांच वर्षों के दौरान किसी लेखा परीक्षा के संबंध में, आपराधिक सिविल या अनुशासनात्मक कार्यवाही या लेखा परीक्षक के साझेदार अथवा कर्मचारियों के विरुद्ध की गई कार्यवाहियों की कुल संख्या।

I. निम्नलिखित विवरण दें:-

1. स्वरूप O आपराधिक O दीवानी O अनुशासनात्मक
2. व्यक्ति जिसके विरुद्ध कार्यवाही की गई
   O साझेदार O कर्मचारी
3. साझेदार/कर्मचारी का नाम ................................
4. नियामक/अभिकरण का नाम जिसने अनुशासनात्मक कार्रवाई प्रारंभ की ..................
5. संबद्ध कार्यवाही की तारीख .......................
6. उस कार्यवाही का संक्षिप्त विवरण .............................
7. क्या अंतिम आदेश जारी किया गया
   Oहां O नहीं

**8. विशेष परिस्थितियां**

**8.1 त्यागपत्र**

1. क्या लेखा-परीक्षक ने किसी कंपनी/कारपोरेट निकाय से पिछले तीन वर्ष के दौरान अपने पद से त्यागपत्र दिया है:

Oहां O नहीं

2. कंपनियों/निकायों की संख्या जिनसे लेखा-परीक्षकों ने पिछले तीन वर्ष में त्यागपत्र दिया .....................

| **कंपनी/कारपोरेट निकाय का सीआईएन/पेन** | **कंपनी/कारपोरेट निकाय का नाम** | **प्रतिवेदन अवधि जिसके लिए त्यागपत्र दिया गया (दिन/माह/वर्ष) से (दिन/माह/वर्ष)** |
|---|---|---|

**8.2 लेखा-परीक्षा रिपोर्ट का वापस लिया जाना**

1. क्या लेखा-परीक्षक ने पिछली तीन प्रतिवेदन अवधियों में वित्तीय विवरणी पर लेखा-परीक्षा रिपोर्ट को वापस लिया या रिपोर्ट, दस्तावेज या लिखित संप्रेषण में अपना नाम प्रयोग करने की अपनी सहमति वापस ली।

Oहां O नहीं

2. कंपनी/निकायों की संख्या जिनमें से पिछले तीन वर्ष में ऐसे वापसी के मामले हुए .............

| **कंपनी/कारपोरेट निकाय का सीआईएन/पेन** | **कंपनी/कारपोरेट निकाय का नाम** | **प्रतिवेदन अवधि जिसके लिए त्यागपत्र दिया गया (दिन/माह/वर्ष) से (दिन/माह/वर्ष)** |
|---|---|---|

**9. लेखा-परीक्षक की क्वालिटी नियंत्रण नीतियां**

प्रतिवेदन अवधि के दौरान लेखा-परीक्षक के अपने लेखा-परीक्षण कार्य की क्वालिटी नियंत्रण नीतियों और कार्यवाहियों का विवरण

| |
|---|
| |

**10. सहमति**

कंपनी अधिनियम, 2013 और समय-समय पर संशोधित राष्ट्रीय वित्तीय सूचना प्राधिकरण नियम, 2018 के अधीन राष्ट्रीय वित्तीय सूचना प्राधिकरण (एनएफआरए) द्वारा अपनी शक्तियों तथा दायित्वों के निर्वहन हेतु सूचना या दस्तावेज प्रस्तुतिकरण के किसी भी अनुरोध पर फर्म ने सहयोग व अनुपालन की सहमति दी है।

**साझेदार या अधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर.**

"

[फा.सं. 1/4/2016-सीएल-I]

के.वी.आर. मूर्ति
05/9/19

O/C

के.वी.आर. मूर्ति, संयुक्त सचिव

टिप्पण: मूल नियम अधिसूचना संख्या सा.का.नि.1111(अ) तारीख 13 नवंबर, 2018 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-2, खंड 3 के उपखंड (i) में प्रकाशित किए गए थे।